


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-132 / 2019 / दिनांक:-
 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 बून्दी।


विषय:-श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत।
 सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2019 एवं 938 दिनांक 18.12.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम में श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में निदेशालय के पत्रांक 1533 दिनांक 31.10.18 के द्वारा वांछित पूर्ण प्रतिउत्तर नहीं भिजवाया है। कि कार्मिका के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? की जानकारी चाही गई थी जो अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण में वांछित पूर्ण सूचना तैयार कर निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


 संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर
 दिनांक:- 19/3/19

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / एस-132 / 2019 / 317
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


 संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर